उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान (नवीन भवन)
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

पत्रांकः13967/यू0पी0–रेरा/तक.प्रकोष्ठ/2023–24 दिनांकः28/10/2023

कार्यालय ज्ञाप

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (यू.पी.रेरा) में पंजीकृत परियोजनाओं के विज्ञापनों में प्रोमोटर्स द्वारा परियोजना की पंजीयन संख्या, उ.प्र. रेरा वेबसाइट www.up-rera.in का प्रमुखता से उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–11 (2) में निम्नवत प्राविधानित किया गया है–

Sec. 11 (2) The advertisement or prospectus issued or published by the promoter shall mention prominently the website address of the Authority, wherein all details of the registered project have been entered and include the registration number obtained from the Authority and such other matters incidental thereto.

अतः प्रोमोटर्स/विकासकर्ताओं को निदेश दिया जाता है कि पंजीकृत परियोजनाओं के विज्ञापनों में प्रचार–प्रसार के समस्त माध्यमों में परियोजना की पंजीयन संख्या, उ.प्र. रेरा वेबसाइट www.up-rera.in एवं प्रोमोटर/विकासकर्ता की पंजीयन संख्या का प्रमुखता से उल्लेख किया जाये। यदि पंजीकृत परियोजनाओं के विज्ञापनों में प्रचार–प्रसार के किसी भी माध्यम में उपरोक्त प्राविधान का उल्लंघन पाया गया तो रेरा अधिनियम के ससुंगत प्राविधानों के अंतर्गत प्रोमोटर/विकासकर्ता पर दण्डनीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव ।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं सूचना हेतु।

1. मा. अध्यक्ष, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
2. मा. सदस्यगण, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
3. प्रमुख सलाहकार, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
4. विधि सलाहकार, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
5. वित्त परामर्शदाता, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
6. तकनीकी सलाहकार, उ. प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
7. सहायक निदेशक सिस्टम, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को इस आशय से प्रेषित कि सूचना उ.प्र. रेरा पोर्टल के पब्लिक डोमेन पर प्रदर्शित करायें।
8. अन्य सम्बन्धित को एवं गार्ड फाइल।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
सचिव